संख्या: 1/2023 /287/चौंतीस-लो0शि-05/2023-06 लो0शि02023

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लोक शिकायत अनुभाग-5, मुख्यमंत्री कार्यालय लखनऊ: दिनांक 27 अप्रैल, 2023

विषय: मुख्यमंत्री कमाण्ड एवं कण्ट्रोल सैन्टर (CCC-CM) की स्थापना एवं प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं को आमजन तक समयबद्ध, गुणवत्तापरक एवं पारदर्शी ढंग से उपलब्ध कराया जाना शासन की प्राथमिकता है, तथा विभिन्न विभागों की योजनाओं/परियोजनाओं में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे योगदान/प्रदर्शन का अनुश्रवण भी सर्वोच्च स्तर से किया जाना अपेक्षित है। मुख्यमंत्री कमाण्ड एवं कण्ट्रोल सैन्टर की स्थापना एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क)- मुख्यमंत्री कमाण्ड एवं कण्ट्रोल सैन्टर/ CM-डैशबोर्ड (दर्पण 2.0) के सम्बन्ध में:-

(1) मा० मुख्यमंत्री जी के स्तर से अनुश्रवण हेतु एक केंद्रीयकृत कमाण्ड एवं कण्ट्रोल सैन्टर (CM-CCC) स्थापित किया गया है, जहां CM-डैशबोर्ड के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं एवं विभागों की योजनाओं/परियोजनाओं में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंकिंग सुनिश्चित की जाएगी।

(2) NIC, उ०प्र० के सहयोग से CM-डैशबोर्ड (दर्पण 2.0) पर विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सूचनाओं का मानकीकरण करते हुए एक परफॉर्मेंस इंडेक्स एवं डाटा क्वालिटी इंडेक्स (DQI) विकसित किया गया है। विभागों द्वारा जन सामान्य को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं एवं विभागीय योजनाओं में उनके प्रदर्शन के आधार पर (DQI) एवं परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर विभिन्न स्तरों के अधिकारियों की रैंकिंग प्रतिमाह जारी की जाएगी।

(3) रैंकिंग हेतु मानकीकरण एवं अंक प्रदान किए जाने हेतु निर्मित व्यवस्था के सम्बन्ध में आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा पृथक से निर्गत किए जाएंगे। रैंकिंग हेतु अंक प्रदान किए जाने की व्यवस्था में समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन/संशोधन मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किए जाएंगे।

(4) **CM-डैशबोर्ड के माध्यम से मा० मुख्यमंत्री जी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं/ सेवाओं में किसी भी विभाग के प्रदर्शन अथवा किसी सेवा में टॉप परफार्मर जनपद/विभाग एवं बाटम परफार्मर जनपद/विभाग को डैशबोर्ड से सीधे देख सकेंगे एवं सम्बन्धित अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद भी कर सकेंगे।**

(5) डाटा क्वालिटी इंडेक्स (DQI) एवं परफारमेंस इंडेक्स में खराब रैंकिंग वाले जनपदों/विभागों को स्थिति में सुधार हेतु मुख्यमंत्री कमाण्ड एवं कण्ट्रोल सैन्टर द्वारा पत्र प्रेषित किए जाएंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) एक वित्तीय वर्ष में 03 बार बॉटम-10 में बने रहने वाले अर्थात खराब प्रदर्शन वाले विभागों एवं जनपदों के अधिकारियों से खराब प्रदर्शन हेतु स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा एवं परीक्षण में स्पष्टीकरण के सन्तोषजनक न होने की दशा में अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु मुख्यमंत्री कमाण्ड एवं कण्ट्रोल सैन्टर स्तर से उनके नियुक्ति प्राधिकारी को निर्देशित किया जाएगा।

(7) CM-डैशबोर्ड पर सूचनाओं का परीक्षण/ अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करने हेतु मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को भी लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।

(8) CM-डैशबोर्ड पर विभिन्न यूजर्स द्वारा की गई कार्यवाही का लॉग प्रणाली में सुरक्षित रखा जाएगा, जिसका उपयोग कमाण्ड एवं कण्ट्रोल सैन्टर के अधिकारियों द्वारा अनुश्रवण हेतु किया जाएगा।

(ख). विभागों के दायित्व:

(1) विभाग द्वारा विभिन्न नोडल अधिकारी यथा शासन स्तरीय नोडल अधिकारी, निदेशालय/उपक्रम/प्राधिकरण आदि स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। निदेशालय/उपक्रम/प्राधिकरण आदि द्वारा नोडल अधिकारी के अधीन विभिन्न प्रोजेक्टों हेतु प्रोजेक्ट एडमिन भी नामित किए जाएंगे जो स्वयं से सम्बन्धित प्रोजेक्टों का कार्य देखेंगे। नोडल अधिकारियों एवं प्रोजेक्ट एडमिन का विवरण CM-डैशबोर्ड पर प्रोफाइल विवरण में उपलब्ध रहेगा तथा आवश्यकता के अनुसार प्रोफाइल विवरण को विभागीय नोडल अधिकारियों द्वारा संशोधित भी किया जा सकेगा। यह अपेक्षित है कि प्रोफाइल विवरण को अद्यतन रखा जाए क्योंकि प्रणाली द्वारा ईमेल/sms के माध्यम से प्रेषित किए जाने वाले नोटीफिकेशन प्रोफाइल विवरण में अंकित ईमेल ID/मोबाइल नंबर पर ही प्राप्त होंगे।

(2) सम्बन्धित नोडल अधिकारी अपने विभागीय प्रोजेक्ट्स एवं उनके अन्तर्गत KPIs का परीक्षण करेंगे। यदि उनमें कोई परिवर्तन वांछित हो तो तदनुसार परिवर्तन करेंगे। समय-समय पर नवीन प्रोजेक्टों को CM-डैशबोर्ड से आवश्यकतानुसार इन्टीग्रेट कराएंगे| एक ही प्रोजेक्ट में यदि कई माध्यमों यथा ई-डिस्ट्रिक्ट, विभागीय पोर्टल, निवेशमित्र आदि से आवेदन प्राप्त होते हों, तो समस्त माध्यमों से प्राप्त आवेदनों के योग को एक ही बॉक्स में प्रदर्शित किया जाएगा। तदनुसार विभागीय पोर्टल के डैशबोर्ड में वांछित परिवर्तन किया जाएगा।

(3) CM-डैशबोर्ड पर विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सूचनाओं का **प्रोजेक्ट वार सत्यापन** निदेशालय/ उपक्रम/ प्राधिकरण आदि स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यह कार्य उनके द्वारा माह में न्यूनतम एक बार अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इस हेतु सत्यापन करने का बटन CM-डैशबोर्ड पर नोडल अधिकारी के लॉग-इन में उपलब्ध रहेगा। शासन स्तरीय नोडल अधिकारी अपने लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर अपने विभाग की सूचनाओं का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगे।

(4) शासन एवं निदेशालय स्तर पर विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं/परियोजनाओं/ सेवाओं में विभिन्न स्तर के विभागीय अधिकारियों की मासिक समीक्षा CM-डैशबोर्ड पर उपलब्ध सूचनाओं के माध्यम से की जाएगी तथा परफॉर्मेंस/ रैंकिंग के आधार पर चिन्हित खराब प्रदर्शन वाले अधिकारियों के कार्य में सुधार हेतु प्रयास किया जाएगा|

(ग). मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी के दायित्व:

(1) मण्डल में अपर आयुक्त एवं जनपद में मुख्य विकास अधिकारी को CM-डैशबोर्ड के नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा|

(2) जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं/परियोजनाओं/ सेवाओं में विभिन्न स्तर के अधिकारियों की समीक्षा CM-डैशबोर्ड पर उपलब्ध सूचनाओं के माध्यम से की जाएगी तथा खराब प्रदर्शन वाले अधिकारियों को चिन्हित कर उनके कार्य में सुधार हेतु प्रयास किया जाएगा|

(घ). कमाण्ड सैन्टर में स्थापित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के दायित्व:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) मुख्यमंत्री कमाण्ड एवं कण्ट्रोल सैन्टर में 10 अधिकारियों की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) स्थापित की जाएगी जिसमें महत्वपूर्ण विभागों से राजपत्रित अधिकारियों को सम्बद्ध किया जाएगा| सम्बद्ध अधिकारियों का वेतन उनके मूल विभाग में उनके पदस्थापन कार्यालय से आहरित होता रहेगा। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर 10 से अधिक अधिकारियों को भी सम्बद्ध किया जा सकेगा।

(2) PMU के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह विभागों के एमआईएस (Management Information System) इन्टीग्रेशन की निर्धारित मानकों पर समीक्षा कर अंक प्रदान किए जाएंगे।

(3) PMU की विभिन्न टीमों द्वारा उनको आवंटित विभागों के प्रोजेक्टों का अनुश्रवण किया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभागों की बैठकें आयोजित वांछित सहयोग/ निर्देश प्रदान किया जाएगा, ताकि मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी विभागों के प्रोजेक्टों की समीक्षा की जा सके ।

2. प्रणाली में किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के निराकरण हेतु श्री अजय गोपाल, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC, उ०प्र० से Email ID: ajai.gopal@nic.in पर संपर्क किया जा सकता है।

कृपया उक्तांकित निर्णयों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या: 1/2023 /287/चौंतीस-लो0शि-05/2023-06लो0शि02023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सचिव/ विशेष सचिव/ विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उपाध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त प्रबन्ध निदेशक, सार्वजनिक उपक्रम, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त कुल सचिव, चिकित्सा, उच्च एवं प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0।
10. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
11. मुख्यमंत्री कार्यालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. मुख्यमंत्री कमाण्ड एवं कण्ट्रोल सैन्टर की PMU के अधिकारी ।
13. अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रथमेश कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in